Airlines to increase air-fare with effect from 22nd June, 1987;

(b) if so, how much fare is likely to be increased; and

(c) what are the reasons for hike in the fare?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) The fares were increased with effect from 25.6.1987, after obtaining Government's approval.

(b) The fare increase effective 25.6.87 are as under:

(i) Increase in domestic Basic Fares by 10 per cent;

(ii) Revision of the differential between the Executive Class and the Economy class fares from 12.5 per cent to 20 per cent; and

(iii) Revision of the excess baggage rate from 1.06 per cent of the Basic Fares to 1.1 per cent of the passenger fare.

(c) Indian Airlines increased the fare because of all round increases in cost since the last Basic Fare increase in 1985-86. The cost increases are particularly high in landing fees, Navigation charges, material and maintenance cost, aircraft insurance, food services and establishment expenses.

Mass Casual Leave taken by Port Trusts and Dock Labour Board Officers

2020. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in "The Hindustan Times" dated 28th July, 1987 wherein it has been stated that the work of ten Major Ports in the country paralised on 29th July, 1987 due to the Port Trust and Dock Labour Board Officers who went on mass casual leave;

(b) if so, the estimated loss as a result thereof; and

(c) what are their grievances and demands?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir.

(b) No loss was caused as the threatened mass casual leave did not materialise.

(c) The grievances and demands of the officers are mainly the following:

(i) Settlement of certain claims which they term to be "anomalies" arising out of the previous pay revisions effective from 1-1-74 and 1-8-1982;

(ii) Appointment of a Pay Commission to make the recommendations on the revision of pay structure and grant of interim relief ranging from 1500/- to Rs. 2000/- w.e.f. 1-1-1986;

(iii) Grant of ad hoc relief at the same rates as was given to the Officers of Central Public Sector Undertakings on Industrial D.A. Pattern.

विद्यालयों में ग्रड पद्धति

2021. **श्री रसीद मसूद :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नई शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत विद्यालयों

में वर्तमान पद्धति के स्थान पर ग्रेड पद्धति प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस ग्रड पद्धति को कब से प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) नई शिक्षा नीति में परीक्षाओं की वर्तमान पद्धति के स्थान पर ग्रेडिंग मूल्यांकन पद्धति के अपनाने की परिकल्पना है ।

(ख) प्रस्ताव के ब्यौरे अभी तयार किए जाने हैं । प्रारम्भिक उपाय के रुप में रा० श० अन० परिषद् द्वारा अभी हाल ही में एक सेमीनार आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा 9 सूत्री ग्रेडिंग पद्धति को अपनाने के लिए सिफारिश की गई है ।

(ग) उपयुक्त निर्दिष्ट सेमिनार ने वर्ष 1990 तक कक्षा-X के लिए और वर्ष 1992 तक कक्ष-XII के लिए ग्रडिंग-पद्धति लाग करने की सिफारिश की है तथापि कार्यान्वियन के इस कार्यक्रम को अभी विभिन्न बोर्डों द्वारा स्वीकृत किया जाना है ।

खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय अनुदान

2022. श्री रशीद मसूद :
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्लोंकू को एक लाख रुपये की अनुदान राशि देने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को क्रियान्वित करते समय ग्रामीण एवं सुदूर आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) योजना के अंतर्गत आरम्भ में जिला उप खण्ड या ब्लाक मुख्यालय के अलावा प्रत्येक तालूका/ब्लाक में एक स्कूल चुना जाएगा । केन्द्रीय सरकार एथलैटिक ट्रैक, गोल पोस्ट, बाधा आदि जैसे स्थायी उपस्कर की खरीद और व्यायाम के उपस्कर की व्यवस्था के लिए एक समय में लाख रुपये की सहायता देगी । केन्द्रीय सहायता इस शर्त पर दी जाएगी कि स्कूल शारीरिक शिक्षा में पूर्णकालीन अध्यापक की नियुक्ति करेगा और उपभोज्य सामग्री की खरीद और उपस्कर के अनुरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 15,000 रुपये की व्यवस्था करेगा ।

Train Describer System

2023. SHRI MUKHTIAR SNIGH MALIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in "The Hindustan Times" dated 25th July, 1987 that Railways proposed to start a new Pilot project in Delhi, called the "Train Describer System";

(b) if so, what are the broad outlines thereof;

(c) what are the financial implications involved therein; and